भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 3894/2020

राजस्थान राज्य और अन्य अपीलकर्ता(ओ)

बनाम

लव कुश मीना प्रतिवादी(ओ)

निर्णय

संजय किशन कौल, जे.

1. विवादास्पद मुद्दा जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या संदेह का लाभ,जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता [आईपीसी] की धारा 302,323,341/34 के तहत आरोपित एक मामले में प्रतिवादी को बरी कर दिया गया है, प्रतिवादी के लिए एक कांस्टेबल के रूप में राजस्थान पुलिस सेवा में शामिल होने का अवसर पैदा कर सकता है।

2. प्रतिवादी और तीन अन्य पर भारतीय दंड संहिता के उपरोक्त प्रावधानों का आरोप लगाया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), लक्ष्मण गढ़, जिला अलवर, राजस्थान के समक्ष मुकदमा चलाया गया था। घटना दिनांक 6.10.2008 की शाम लगभग 6 बजे की है, जब शिकायतकर्ता बाबूलाल के अनुसार, जगदीश और दयाराम नाम के व्यक्ति ट्रैक्टर में सवार होकर जंगल पाटन में एक विवादित खेत की जुताई करने आए थे. बाबूलाल की मौसी तोफली ने उन्हें जमीन जोतने से मना किया और जाहिर तौर पर वे खेत में ही रुक गईं। तभी ट्रैक्टर चालक जगदीश ने ट्रैक्टर को भगाकर तोफली के ऊपर चढ़ा दिया। शिकायतकर्ता बाबूलाल एक राजू, ओम प्रकाश

और दिनेश के साथ उसके पास पहुंचे, लेकिन दयाराम, लव कुश (प्रतिवादी), बोदान और जगदीश द्वारा उन्हें पीटा गया और चाकू से वार किए गए। तोफली को बुग्गी में भरकर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, पीएस खेड़ली ने आईपीसी की धारा 302,341,323,34 के तहत प्राथमिकी संख्या 255/2008 दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर, सभी अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट नंबर 1/2009 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठूमार की अदालत में दायर किया गया था, जहां से इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लक्ष्मण गढ़ की अदालत में सुपुर्द किया गया था। आरोप तय किए गए और सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया।

3. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मुकदमे के दौरान घायल व्यक्तियों, बाबूलाल, ओम प्रकाश और राजू उर्फ राजेश ने अदालत की अनुमति प्राप्त की और आईपीसी की धारा 341,323 के तहत आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में समझौता दायर किया, जो स्वीकृत था लेकिन स्वाभाविक रूप से, आईपीसी की धारा 302/34 के तहत अपराधों के लिए कोई समझौता नहीं हो सकता था। उन आरोपों में मुकदमा चलता रहा और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समझौते के मद्देनजर, घायलों सहित अभियोजन पक्ष के सभी गवाह मुकर गए। अभियोजन पक्ष के मामले के आधार पर, विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिनांक 01.05.2009 के संदर्भ में कहा कि "अभियोजन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है"।

4. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा विनियम, 1989 के भाग III में निहित प्रावधानों के तहत 14.07.2013 को कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कांस्टेबल के 12178 पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई

थी। नियुक्ति के लिए अयोग्यता के लिए प्रदान किए गए विज्ञापन के पैरा (ix)। प्रासंगिक खंड (ix) निम्नानुसार पढ़ता है–

> "(ix) सिविल अपील संख्या 782/2004 राज्य सरकार और अन्य बनाम मोहम्मद सलीम दिनांक 10.12.2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार,पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सर्कुलर संख्या 1687 दिनांक 29.4.1995 को वैध माना जाता है। उक्त निर्णय के अनुपालन में, केवल वही उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की भर्ती में उपस्थित होने के योग्य होंगे, जिन्हें नैतिक अधमता, हिंसक गतिविधियों के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक बरी नहीं किया गया है।"

5. पूर्वोक्त यह दिखाएगा कि अयोग्यता नैतिक अधमता और हिंसक गतिविधियों के अपराधों के लिए "अदालत द्वारा सम्मानजनक रूप से बरी नहीं"के रूप में योग्यता को संचालित करेगी। प्रतिवादी ने इस भर्ती में भाग लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि वह भर्ती प्रक्रिया में सफल रहा। हालाँकि, पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन के आधार पर उन्हें दिनांक 04.08.2015 का एक पत्र जारी किया गया था। जिला अलवर, उप महानिरीक्षक पुलिस, सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर, जहां उपरोक्त मामले के पहलू पर गौर किया गया (यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी ने इस तथ्य का खुलासा किया था और कुछ छुपाया नहीं था)। उपरोक्त के मद्देनजर प्रतिवादी को अपात्र पाया गया। ऑपरेटिव भाग निम्नानुसार है:

> "आपके खिलाफ गंभीर आपराधिक अपराध के कारण, पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1687 दिनांक 29.4.1995 के संदर्भ में और साथ ही सिविल अपील

संख्या 782/04 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, आपको पात्र नहीं पाए जाने पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है।"

6. उपरोक्त आदेश को एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2391/2016 में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और दिनांक 11.11.2016 के निर्णय के संदर्भ में रिट याचिका की अनुमति दी गई थी, प्रतिवादी–पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को मामले को वापस भेजकर आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार प्रतिवादी की उम्मीदवारी के संबंध में एक नया उचित आदेश पारित करने के लिए और परिणाम का पालन करेंगे।

7. तद्नुसार दिनांक 23.05.2017 को जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा नये आदेश पारित किये गये। यह राय थी कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप मामूली प्रकृति के नहीं थे, बल्कि गंभीर अपराध थे और उम्मीदवार को अदालत ने सम्मानपूर्वक बरी नहीं किया था। प्रश्नगत परिपत्र के मद्देनजर एक बार फिर प्रतिवादी को अपात्र ठहराया गया।

8. दूसरे दौर की शुरुआत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8323/2017 में दिनांक 23.05.2017 के पूर्वोक्त आदेश की अवहेलना के साथ हुई। विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 14.05.2018 के आदेश के संदर्भ में, यह माना गया कि न्यायालय को यह विश्वास नहीं था कि प्राधिकरण ने न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2016 के आदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना दिमाग लगाया था। इस संबंध में दिनांक 28.03.2017 के एक परिपत्र पर भरोसा किया गया और यह पाया गया कि प्रतिवादी पहली श्रेणी में आते हैं।

9. हम देख सकते हैं कि परिपत्र निर्विवाद रूप से भर्ती प्रक्रिया के बाद का है। जैसा भी हो सकता है, परिपत्र का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

"विषय: आपराधिक मामलों के तथ्यों को छुपाने/आपराधिक मामलों में शामिल होने के कारण नियुक्ति से वंचित उम्मीदवारों के संबंध में।

XXX XXXXXXX

निम्नलिखित श्रेणी के केवल वही अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र पाये जाते हैं, जिन्होंने आवेदन पत्र या चरित्र सत्यापन प्रपत्र (दोनों या उनमें से किसी एक) में आपराधिक मामले का उल्लेख किया हो:–

1. जांच के बाद आपराधिक मामले का दोषी नहीं पाया गया, अंतिम/क्लोजर रिपोर्ट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई।
2. न्यायालय द्वारा बरी किया गया (संदेह का लाभ देकर या साक्ष्य के अभाव में)।
3. समझौते के आधार पर बरी/डिस्चार्ज।
4. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ, कतिपय धाराओं में दोष सिद्ध होने पर (दोषसिद्धि किसी दण्डमुक्ति पर आधारित नहीं है/राज्य सेवा/भविष्य के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है) का लाभ दिया गया है।
5. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के तहत दोषी ठहराया गया और लाभ दिया गया।

10. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि उक्त परिपत्र लागू होता है और उक्त परिपत्र के संदर्भ में ऐसे मामले भी जहां संदेह का लाभ देकर बरी किया जाता है, उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराएगा।

11. उक्त आदेश से व्यथित अपीलकर्ता/राज्य ने खंडपीठ के समक्ष डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 373/2019 दायर की। डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि आरोपी

व्यक्ति को अपराध करने से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसलिए प्रतिवादी एक आपराधिक मामले में शामिल होने के बावजूद, एक कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं था। इसने आगे कहा कि चूंकि प्रतिवादी को संदेह का लाभ दिया गया था और उस पहलू पर विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 11.11.2016 के पहले के फैसले में विचार किया गया था, इसलिए उक्त पहलू पर गौर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ, अपील खारिज कर दी गई।

12. वर्तमान अपील में नोटिस जारी होने के बाद, दिनांक 27.11.2020 को अनुमति प्रदान की गई थी और दिनांक 03.02.2020 को पारित अंतरिम आदेश में आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता ने हमें पूर्वोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स के माध्यम से ले लिया है जैसा कि हमारे द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है। जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या पूर्वोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में और इस न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, क्या प्रतिवादी नियुक्ति के लिए अपात्र होगा अर्थात क्या अपीलकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2017 को पारित बाद के मौखिक आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है या नहीं।

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में मौलिक निर्णय का उल्लेख किया है जहां इस न्यायालय की तीन जजों की खंडपीठ ने ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले पहलुओं पर विस्तार से विचार किया है और विभिन्न मापदंडों को निर्धारित किया है। निष्कर्षों को पैरा 38 में संक्षेपित किया गया है।

14. प्रासंगिक संक्षिप्त निष्कर्ष को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा:

"38.xxx xxx xxx

38.3.नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4.3.यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में दोषमुक्ति पहले ही दर्ज की जा चुकी है और यह स्वच्छ दोषमुक्ति का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी की निरंतरता के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।"

15. यह बताया गया है कि इस निर्णय में उत्पन्न होने वाली विभिन्न बारीकियों पर बाद के निर्णयों में भी विचार किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य वी. प्रदीप कुमार और इस अदालत के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने "माननीय बरी"अभिव्यक्ति पर विचार किया। यह राय थी कि एक आपराधिक मामले में बरी होना संबंधित उम्मीदवार की उपयुक्तता के लिए निर्णायक नहीं था और यह हमेशा एक दोषमुक्ति या निर्वहन से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि व्यक्ति गलत तरीके से शामिल था या उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। इस प्रकार, जब तक कि यह एक सम्मानजनक बरी न हो, उम्मीदवार मामले के लाभ का दावा नहीं कर सकता। निस्संदेह, पुलिस महानिरीक्षक बनाम समुथिराम में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए यह उल्लेख किया गया था कि हालांकि यह परिभाषित करना मुश्किल था कि "सम्मानजनक बरी"अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है, एक अभियुक्त जो अभियोजन साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के पूर्ण विचार के बाद बरी हो गया है, अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, यह संभवतः कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था। इस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा गया है कि पुलिस सेवा में प्रवेश के लिए एक उम्मीदवार को अच्छे चरित्र, सत्यनिष्ठा और स्वच्छ पूर्ववृत्त का होना

आवश्यक है। अंत में, यह माना गया कि एक आपराधिक मामले में दोषमुक्ति स्वत: ही एक उम्मीदवार को पद पर नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं करती है, क्योंकि एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा।

16. एक समान तथ्यात्मक परिदृश्य में एक विज्ञापन के अनुसरण में सूबेदारों, प्लाटून कमांडेंटों और पुलिस निरीक्षकों के पदों पर भर्ती की हद तक और उम्मीदवारों में से एक को अयोग्य घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य और बनाम अभिजीत सिंह पंवार अन्य में दो न्यायाधीशों की बेंच द्वारा इस न्यायालय का एक निर्णय आया। तथ्यात्मक संदर्भ में यह कहना पर्याप्त होगा कि वर्ष 2006 में दर्ज एक मामला उस तारीख को लंबित था जब हलफनामा प्रस्तुत किया गया था और चार दिनों के भीतर मूल शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच समझौता हो गया था। राजीनामे के लिए आवेदन दिया था और उसे स्वीकार किया गया क्योंकि यह आईपीसी की धारा 294, 325/34, 323, 506 भाग II के तहत अपराधों से संबंधित था और पहले के निर्णयों में प्रतिपादित कानूनी सिद्धांत की चर्चा पर, यह राय दी गई कि पुलिस आयुक्त बनाम मेहर सिंह के मामले में पहले के फैसले में यह राय थी कि इस प्रस्ताव के बारे में कोई संदेह नहीं है कि एक उम्मीदवार द्वारा खुलासा किए जाने के बाद भी, नियोक्ता उम्मीदवार के पूर्ववृत्त और उपयुक्तता पर विचार करने का अधिकार होगा। इस संदर्भ में, यह आयोजित किया गया था, नियोक्ता उस जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखने का हकदार है जिसके लिए चयन किया गया है, उम्मीदवार के खिलाफ लगाए गए आरोप की गंभीरता और क्या प्रश्न में दोषमुक्ति एक सम्मानजनक दोषमुक्ति थी या केवल संरचना के परिणामस्वरूप संदेह के लाभ के आधार पर थी। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि एक पहलू जो देखा गया था जो वर्तमान मामले में स्वीकृत है, इसमें ऐसे किसी भी सुझाव की अनुपस्थिति है कि निर्णय दुर्भावना से प्रेरित था या बाद में लागू परिपत्र के मुद्दे को छोड़कर अन्य कारणों से प्रभावित हुआ था।

17. अनिल भारद्वाज बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और अन्य का भी संदर्भ दिया गया था, जहां एक बार फिर इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पाया कि उम्मीदवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए, 406, 34 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। पत्नी द्वारा दायर एक शिकायत पर लंबित विचार और इस प्रकार, उम्मीदवारी की अस्वीकृति को अस्थिर नहीं कहा जा सकता है। ऐसा कहते हुए, न्यायालय ने यह भी कहा कि यह दलील कि नाम को हटाने से उम्मीदवार के खिलाफ कलंक लग जाएगा, टिकाऊ नहीं था क्योंकि उम्मीदवार पहले ही बरी हो चुका था।

18. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कुछ अन्य निर्णयों का भी उल्लेख करते हुए तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर कुछ निर्णयों में अंतर करने की मांग की। इस संबंध में, उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक बनाम एस. समुथिराम (उपरोक्त) के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि पैरा 24 में "सम्माननीय बरी"का क्या अर्थ है, यह तर्क देने के लिए कि इसे ठीक से परिभाषित करना मुश्किल है कि "सम्माननीय दोषमुक्ति"अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। अधिवक्ता ने जोगिंदर सिंह बनाम राज्य (चंडीगढ़ और अन्य संघ शासित प्रदेश) में एक फैसले का संदर्भ देने की भी मांग की। इस मामले में उम्मीदवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 325 और 307 के तहत आरोप लगाए गए थे, जहां विचारण न्यायालय ने कहा था कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, चूंकि शिकायतकर्ता और साथ ही घायल चश्मदीद हमलावरों की पहचान करने में विफल रहे। इसे सम्मानजनक दोषमुक्ति का मामला माना गया और इस प्रकार, उम्मीदवार को राहत दी गई।

19. प्रतिवादी ने मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में इस अदालत के दिनांक 12.10.2018 के फैसले का भी हवाला दिया, जहां उम्मीदवार पर परीक्षा की मंजूरी से बहुत पहले आईपीसी की धारा 363, 366, 34 के तहत आरोप

लगाए गए थे। उस संदर्भ में, यह देखा गया कि चूँकि हमारे देश में रोजगार के अवसर दुर्लभ वस्तु थे, बड़ी संख्या में आकांक्षी आवेदन कर रहे थे, न्यायिक सेवा में नियुक्ति से इनकार करने के लिए नैतिक अधमता का कोई यांत्रिक या अलंकारिक मंत्र नहीं हो सकता था, लेकिन बहुत कुछ मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

20. वर्तमान मामले में कथित अपराध और भर्ती प्रक्रिया के बीच एक समय व्यतीत होने के पहलू पर यह तर्क देने के लिए जोर दिया गया था कि प्रतिवादी की आयु लगभग 19 वर्ष थी, जब घटना घटी और अब कुछ वर्षों के बाद उसने एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया।

21. प्रतिशपथ पत्र में राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें संदेह का लाभ प्राप्त करने के आधार पर उम्मीदवारों को राहत दी गई थी।

22. अंत में, इस न्यायालय द्वारा SLP[C]No.15351/2020 दिनांक 21.01.2020 में पारित एक आदेश का संदर्भ दिया गया था, जिसमें एक एसएलपी को एक उम्मीदवार की नियुक्ति के निर्देश के खिलाफ खारिज कर दिया गया था, जहां आदेश एक आपराधिक मामले में उम्मीदवारों को संदेह का लाभ दे रहा था। हालाँकि, हम ध्यान दें कि सबसे पहले, कि यह एक आदेश है और एक निर्णय नहीं है और दूसरी बात, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बर्खास्तगी "मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में"थी।

23. पूर्वोक्त कानूनी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मामले में विवाद की जांच करते हुए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय का दृष्टिकोण आरोपित अपराध की प्रकृति और उसके परिणाम पर निर्भर करता है। बरी होने का मात्र तथ्य पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह सबूतों के पूर्ण अभाव के आधार पर एक साफ बरी है या आपराधिक न्यायशास्त्र में मामले को उचित संदेह से परे

साबित करने की आवश्यकता है, वह पैरामीटर पूरा नहीं किया गया है, आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, मृतक महिला के ऊपर ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति अन्य सह–अभियुक्तों में से एक था, लेकिन यहां प्रतिवादी सहित अन्य को सौंपी गई भूमिका महज एक तमाशबीन या साइट पर मौजूद रहने की नहीं थी। प्रतिवादी सहित अन्य सभी सह–अभियुक्तों के खिलाफ चाकुओं से हमला करने का आरोप लगाया गया था।

24. हम यह भी नोटिस कर सकते हैं कि यह एक स्पष्ट मामला है जहां विवाद को निपटाने का प्रयास किया गया था, हालांकि जो नौकरी को ध्यान में रखकर नहीं था। विचारण न्यायालय के फ़ैसले के वर्णन से यह स्पष्ट है कि शमनीय अपराधों को पहले विचारण के दौरान शमन किया गया था, लेकिन चूंकि आईपीसी की धारा 302/34 के तहत अपराध को शमन नहीं किया जा सका, इसलिए विचारण जारी रखा गया और उस अपराध के आरोप को खारिज कर दिया क्योंकि गवाह मुकर गए थे। हमारा विचार है कि यह शायद ही एक स्वच्छ बरी की श्रेणी में आ सकता है और न्यायाधीश इस तरह के बरी होने के संबंध में संदेह के लाभ की शब्दावली का उपयोग करने में सही थे।

25. उपरोक्त निकाले गए प्रासंगिक पैरामीटर पर अवतार सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्णय स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि अपराध की जघन्य या गंभीर प्रकृति के संबंध में बरी होना उचित संदेह के लाभ पर आधारित है, जो उम्मीदवार को योग्य नहीं बना सकता है।

26. हम प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति को भी नोट कर सकते हैं कि अवतार सिंह के मामले (सुप्रा) में पैरा 38.3 के अनुसार, नियोक्ता को निर्णय लेने के समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखना होगा। उनका कहना है कि दिनांक 28.03.2017 का सर्कुलर लागू होगा या नहीं, यह मुद्दा

विद्वान न्यायाधीश के दिनांक 14.05.2018 के पहले के आदेश के मद्देनजर पूर्ण है। उसने आगे तर्क दिया है कि, किसी भी मामले में, परिपत्र लागू हो गया था और अवतार सिंह के मामले (उपरोक्त) पैरा 38.4 में निर्णय के अनुसार, यह निर्णय की तिथि है जो कि महत्वपूर्ण है और दिनांक 23.05.2017 के निर्णय की तिथि के अनुसार उक्त परिपत्र लागू था।

27. हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि दिनांक 28.03.2017 का परिपत्र निस्संदेह अपने आवेदन में बहुत व्यापक है। यह संदेह का लाभ देकर न्यायालय द्वारा बरी किए गए उम्मीदवारों सहित उम्मीदवारों को लाभ देना चाहता है। हालाँकि, इस तरह के परिपत्र को न्यायिक घोषणाओं के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और जब इस न्यायालय ने बार–बार राय दी है कि संदेह का लाभ देने से उम्मीदवार नियुक्ति का हकदार नहीं होगा, परिपत्र के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी दिनांक 23.05.2017 के विवादित निर्णय को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप होने पर परिपत्र के उल्लंघन के रूप में दुर्बलता से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है।

28. इस प्रकार, हमारा विचार है कि विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है और अपीलकर्ता दिनांक 23.05.2017 के आदेश को जारी करने के अपने अधिकारों के भीतर हैं।

29. परिणामस्वरुप अपील स्वीकार की जाती है और पक्षकारों को अपनी–अपनी लागत वहन करने के लिए स्वतंत्र रखते हुए खंडपीठ के दिनांक 16.07.2019 और विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 14.05.2018 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है ।

न्यायाधीश

[संजय किशन कौल]

न्यायाधीश

[आर. सुभाष रेड्डी]

नई दिल्ली;

मार्च 24, 2021

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.